खण्ड – 3 संख्या – 2

बिहार विधान–सभा वाद–वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

भाग –2

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बुधवार, तिथि 06 नवम्बर, 1985 ई०

को विशेषाधिकार समिति को सुपूर्द किया जाता है।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ :

अध्यक्ष : आज दिनांक 3–11–85 के लिये निम्नलिखित कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ मिली हैं, जिनमें सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री दशई चौधरी का वैशाली जिला में बाढ के संबंध में है।

X **श्री दशई चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिलान्तर्गत गौरौल एवं महुआ प्रखंड में अतिकृष्टि एवं बाढ़ के कारण लोगों का जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। अभी सैकड़ो गाँव पानी में डूबा हुआ है तथा हजारों मकान ध्वस्त हो गये है। लोगों को न रहने की व्यवस्था है और न खाने का कोई उपाय है। जिला प्रशासन की लापरवाही एवं शिथिलता के कारण सहायता–कार्य भी नही चल पा रहा है। उक्त दोनों प्रखंडो में भुखमरी की स्थिति व्याप्त है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त दोनों प्रखंडों में अविलंबित राहत कार्य चलाने तथा दोनों प्रखड को अकाल क्षेत्र धोषित करने हेतु इस विषय पर वाद–विवाद हो।

अध्यक्ष : दूसरा कार्य–स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा जी का है जिसे कि मैने अस्वीकृत किया है और तीसरा कार्य–स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री सूरज मंडल का है।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही ....

अध्यक्ष : शांति, शांति। आप कृपया बैठ जायं। जो बात आप कह रहे हैं वह तो आपने लिखकर दिया ही है, वह रेकर्ड में है ।

X **श्री रघुनाथ झा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही सही बातों को उजागर किया है । दिनांक 2 नवम्बर 1985 को जब वे विधायकों, सांसदों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे प्रदेश इंका मुख्यालय सदाकत आश्रम में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय नियोजन के लिये दी जा रही राशि का नब्बे प्रतिशत सरकारी, सरकारी पदाधिकारियों और ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा हजम कर लिया जाता है। देखा जाय "प्रदीप हिन्दी दैनिक" शीर्षक को 90 प्रतिशत राशि अधिकारी और ठेकेदार गटक जाते हैं "दूबे" समाचार (कतरन संलग्न)। इससे स्पष्ट है कि सरकार जनता से वसूली गयी राशि का, राज्य के संसाधनों का दुरूपयोग करती है और राज्य को गरीबी रेखा के नीचें धकेल रही है। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकारोक्ति भ्रष्टाचार का सरकारी सत्यापन है। राज्य को भ्रष्टाचार से बचाने के लिये सदन को कार्यवाही स्थगित कर इसपर वाद–विवाद किया जाय। जो न्यूनतम गारन्टी योजना के तहत या दूसरी योजनाएँ के तहत विकास पर जो राशि खर्च किया जाता है उसको हड़प जाते हैं, जिससे बिहार का विकास ठप पडा हुआ है

श्री विन्देश्वरी दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी बात नहीं कही है प्रदेश काँग्रेस की मीटिंग में ......

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा भी बिना माइक के बोल रहे थे जो प्रतिवेदक टेबुल पर सुनाई नही दे रहा था। सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : शांति, शांति। माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा जी आप

कृपया बैठ जायं। आपका प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है इसलिये मैंने अस्वीकृत किया है।

श्री रघुनाथ झा : आप अखबार में देखिये। यह तो अखबारों में निकला हैं

श्री विन्देश्वरी दूबे : माननीय सदस्य अखबार की बातों में न जायं तो अच्छा है। मुझे बोलने दीजिये।

(मुख्यमंत्री बोल रहे थे और साथ–साथ माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा भी बोल रहे थे।)

श्री विन्देश्वरी दूबे : अखबार भी तो माया ही है। उसमें जो छपा है उसको क्यों नहीं सत्य मानते हैं ? माया में जो छपा है उसके लिये सदन को ध्यान आकृष्ट किया गया है।

(माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा भी बोल ही रहे थे।)

श्री विन्देश्वरी दूबे : मैं अखबार की बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य इस तरह से बात यहाँ कर सकते हैं ? इस तरह से सदन की कार्यवाही कैसे चल सकती है और इस तरह से कोई नही बोल सकेगा। मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूँ। अखबार की बातों को यहाँ उठाना उचित नहीं है। अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनेंगे तो आपकी बातों को भी कोई नहीं सुनेगा।

(साथ–साथ माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा बोल रहे थे)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा आप, कृपया अपने स्थान

पर बैठ जायं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा जी से बार–बार बैठने के लिये आग्रह करते रहे और माननीय सदस्य बोलते ही रहे।)

श्री रघुनाथ झा : ये कैसी बात करते हैं.........

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा जी, आप बैठ जायं। मुझे लाचार न करें कृपया आप बैठ जाइये। आपने जो प्रस्ताव दिया था उसे मैने नियमानुकूल नहीं पाकर अस्वीकृत कर दिया है।

X **श्री विन्देश्वरी दूबे :** अध्यक्ष महोदय, मैने ऐसी बात नही कही है। लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि अखबारों की बात पर न जाइये। मुझे कहने दिया जाय। सदन अखंवार की बात पर न जाय। यह तो आप देख ही रहे हैं कि अखबार किस तरह की बात और कितना सत्य छापता है जिसके लिये अभी–अभी सदन ने विशेषाधिकार का प्रस्ताव पास किया है और आपने उसे विशेषाधिकार समिति को सुपूर्द किया है।

(माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा और श्री गणेश प्रसाद यादव बोलते ही जा रहे थे जिससे अध्यक्ष को बार–बार अनुरोध करना पड़ा बैठ जाने के लिये और सदन के बहुत से माननीय सदस्य बोलते जा रहे थे जिससे सदन में काफी शोरगुल होने लगा और कुछ भी स्पष्ट सुनाई पड़ना मुश्किल हो गया।)

श्री विन्देश्वरी दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध

करता हूँ कि वे अखबार की बातों में न जायं । अखबार में जितनी बातें निकलती हैं रोज–रोज उतने का कंट्राडिक्ट करे तो सारा समय उसी में लग जायेगा । आप इस तरह से न करें यदि इस तरह से होगा सदन में तो मुझे सख्त होना पड़ेगा और कोई भी सदस्य न बोल पायेंगे। मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूँ। मुझे बोलने दिया जाय, अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनेंगे तो आपकी बात को भी कोई नहीं सुनेगा।

अध्यक्ष : मैं कहता हूँ आप बैठ जायं। माननीय सदस्य श्री गणेश प्रसाद यादव जी आप बैठ जायं । आप कृपया बैठ जाय।

(सदन में शोरगुल)

लाचार होकर मुझे बाहर करना होगा। आप कृपया बैठ जायं।

श्री विन्देश्वरी दूबे : मैं प्वायंट ऑफ क्लेरिफिकेशन पर कुछ कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो बातें कही गई कि प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मीटिंग में मैंने यह कहा कि 90 प्रतिशत पैसे, एन०आर०ई०पी० के सारे पैसे गबन हो जाते हैं, साईफन्ड हो जाते हैं, अखबार की हवाला दी गई मैंने ऐसी बातें नहीं कहीं प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मीटिंग में ।

श्री गणेश प्रसाद यादव : आपने कन्ट्राडिक्शन किया ?

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : कया आपलोग चाहते हैं कि सदन की कोई भी मर्यादा न

रह जाय ? आपमें धैर्य होना चाहिये सुनने का।

श्री विन्देश्वरी दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पार्टीकुलर इन्सीडेस की चर्चा की थी और मैंने कहा था एक पार्टीकुलर इन्सीडेस जब मैं पार्लियामेंट का मेम्बर था, उस वक्त नोटिस में आई थी, एक ऐसी शिकायत उठी थी और जब गहराई से जाँच हुई तो उस जाँच का परिणाम अंततः जो मिला था ये बातें नहीं कही जा सकती कि कहीं कुछ ऐसी घटना नहीं हो जाती । जेनरली ऐसा मैंने नहीं कहा था। अखबार में जो बातें आई उसका कन्ट्राडिक्शन मैंने क्यों नहीं किया । अखबार में रोज ही बहुत सारी बातें आती रहती हैं, बहुत सी बातें हमलोग नही कहते है वह भी आ जाती हैं, हर एक बातों का कन्ट्राडिक्शन ही देते रहें यह सम्भव होता नहीं है और बहुत से अखबारों में बातें जो कही जाती है, बहुत सी बाते ....

श्री गणेश प्रसाद यादव : आपके पास पी०आर०डी० है।

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

X **श्री विन्देश्वरी दूबे** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की सफाई करना चाहता हूँ जब श्री रघुनाथ झा ने बात उठायी उसी पर मैं कहना चाहता था कि आप अखबार की बातों पर नहीं जाइये, मेरी बात सुन लीजिए और मैंने जो कहा है उस बात की जानकारी ले लीजिए और मुझ पर विश्वास कीजिएँ। मैं यह कहना चाहता था कि अखबार में सारी बातें बिलकुल उसी

तरह नहीं निकलती हैं जो कही जाती हैं, भरवेटिंग रिपोर्ट नहीं होती है, मोटा–मोटी रिपोर्ट लेकर कुछ छाप दिया जाता है जो कहा जाता है, कभी–कभी जो छपता है उससे भाव बिगड़ जाता है। मैंने वर्षों पहले इस इन्सीडेन्स की चर्चा की थी और मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा था कि आपको बराबर सजग और सतर्क रहना चाहिए, ताकि जितना विकास पर खर्च होता है उसका पूरा पूरा फल लोगों को मिल जाय और बीच में इसमें किसी तरह का गोल–माल न हो और पैसे का दुरूपयोग न हो, इसी कन्टेक्सट में मैंने कहा और आज भी यह बात कहता हूँ लेकिन इसमें इतनी नाराजगी की बात नहीं है। मैंने बराबर यह बात कही कि अखबार की बातों पर नहीं जाइये। जब उन्होंने नहीं माना तो मैंने कहा कि "माया" पर क्यों नाराज हैं माया ने भी सही खबर नहीं छापी है, जब माया की बात उठी तो हमलोगों ने, हमारे सदस्यों ने आपका विरोध नहीं किया, हम आपके साथ हैं। गलत खबर छप गयी, गलत खबर छपने से किसी सदस्य का अपमान हुआ किसी के प्रीविलेज का हनन है तो हम सब इसमें साथ हैं, लेकिन यार्डस्टीक नहीं हो सकती है। किसी दूसरे सदस्य की खबर छपे, हम आपके साथ रहें और मेंरे बारे में खबर छपे तो आप कहें कि आपने कन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं किया ?

(थपथपी)

आखिर चीफ मिनिस्टर होने से विधायक की हैसियत खत्म नही हो जाती है और विधायक का जो प्रीविलेज है, विधायक की जो प्रतिष्ठा है अगर रक्षा होती है तो सबकी रक्षा

होती है। विधायक की प्रतिष्ठा की रक्षा विधायक की प्रीविलेज की रक्षा अगर होगी तो चीफ मिनिस्टर भी विधायक हैं, इसलिए आप चीफ मिनिस्टर को ऐक्संप्शन में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर सारी छोटी–छोटी खबरों का कन्ट्राडिक्शन हमलोग देते रहें तो रोज दिन भर का समय कन्ट्राडिक्शन में ही बीत जायेगा और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत बातों को इगनोर करते हैं।

श्री रघुनाथ झा : पी०आर०डी० क्यों है ?

श्री विन्देश्वरी दूबे : टोका–टोकी की प्रथा ठीक नहीं हैं । जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। जब मैं अपने लेग पर अनूमति से हूँ तो कृपा करके आप मेरी बात सुनिये। आपको पसन्द नहीं आये तो आप अध्यक्ष से परमीशन लेकर बोलिये, लेकिन टोका–टोकी करते हैं और मैं ऐसी परिस्थिति पैदा करते है जो उचित नहीं है, इस तरह से सदन ठीक से नहीं चलेगा। आप कृपा करके इतना गुस्सा नहीं दिखलाइये, शांतिपूर्वक हमलोग काम करें ।

श्री रघुनाथ झा : ब्लड प्रेसर आपका बढ जाता है।

श्री विन्देश्वरी दूबे : जब आप इस तरह से कीजिएगा तो मैं कोई देवता नहीं हूँ।

(थपथपी)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (बेलसंड) : आपने सच्ची बात कही थी कि लूट हो रही है। एक मुख्यमंत्री ने तो सच्ची बात को स्वीकार

किया, अब तक और किसी मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। लूट तो सही माने में हो रही हैं

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए 50–50 हजार रूपया लिया गया है। इसका नियम है कि एक्जामिनेशन हॉल से जो पेपर हैं जो प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं, वह बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन बाजार में ओरिजनल प्रश्न बिक रहा है जो हमारे पास है। 6 बजे सुबह में 9 तारीख को यह चला आया।

अध्यक्ष : आप वे सब दे दीजिए।

श्री सूरज मंडल : 50–50 हजार रूपया दो सौ मेडिकल स्टूडेन्ट से घूस लिया गया है जिसका नतीजा यह होगा कि जो अच्छे और सही स्टूडेन्ट्स है वे नहीं आ पायेंगे । मंत्री जी इस पर क्या कर रहे हैं आप देखिये ओरिजनल प्रश्न और कॉपी हमारे पास हैं।

अध्यक्ष : आप हमारे पास भेज दीजिए मैं उसे देखूँगा और फिर उसपर उचित कार्रवाई की जायेगी ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री सूरज मंडल अपने स्थान से उठकर मंत्री महोदय के पास चले आये।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। यह तरीका नहीं है।

श्री राम दास राय : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी तटबन्ध प्रमंडल, वीरपुर के

कार्यपालक अभियंता श्री रामानन्द मिश्र पर लगाये गये भ्रष्टाचार के कई गम्भीर आरोप विभागीय निगरानी विभाग द्वारा प्रमाणित हो जाने पर उनके निलंबन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय में बहुत दिनों से लंबित है लोकहित में सरकार श्री मिश्र को निलंबित करे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुंशीलाल राय, आपका स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किया गया हैं । इसी तरह श्री सत्यनारायण दुदानी स०वि०सि०का प्रस्ताव भी नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किया गया।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :

(क) जूट उत्पादक किसानों की दुःस्थिति :

X **श्री मो० मुस्ताक** : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्णिया, कटिहर, सहरसा, मघेपुरा जिलों के जूट उत्पादक किसानों की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और वे आर्थिक बोझ से दबते जा रहे हैं। किसानों को उनके लागत मूल्य से भी कम दाम पर जूट को मजबूरी मे बेचना पड रहा है। गत वर्ष 1984–85 में जूट कारपोरशन और विस्कोमान द्वारा जूट की खरीदगी हजार से 11 सौ रूपया प्रति क्विंटल की दर से की गयी थी, वहीं इस वर्ष जे० सी०आई विस्कोमान द्वारा जूट की खरीदगी 227 रु० से 235 रु० की जा रही है जिसके कारण जूट मिलमालिको द्वारा भी एक चौथाई कीमत पर जूट की खरीद की जा रही है। परन्तु वहीं जूट से उत्पादित वस्तुओं की कीमत में कोई कमी नहीं हुई है।